



मंत्रिमण्डल

# केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और सर्बिया के बीच नए वायु सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी

Posted On: 31 MAR 2017 9:38PM by PIB Delhi

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और सर्बिया के बीच वर्तमान वायु सेवा समझौते (एएसए) को अपडेट करने की मंजूरी दे दी है। इस समझौते पर 31 जनवरी 2003 में हस्ताक्षर किए गए थे। ये अद्यतनीकरण (अपडेशन) नवीनतम अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) टेम्पलेट के अनुसार है। दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क को बेहतर बनाने के उद्देश्य के साथ-साथ इसमें नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में हुई नवीनतम घटनाओं का ध्यान रखा गया है।

नए वायु सेवा समझौते की आवश्यक विशेषताएं निम्नलिखित हैं-

- राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति के अनुसार सर्बिया के साथ खुले हवाई क्षेत्र को औपचारिक रूप दिया गया है। अब भारतीय विमान कंपनियां भारत में कहीं से भी सर्बिया के किसी भी हिस्से के लिए सेवाओं का संचालन कर सकती हैं जबकि सर्बिया की विमान कंपनियां चार मेट्रो शहरों - नई दिल्ली, मुंबई और दो अन्य (ब्योरा बाद में दिया जाएगा) के लिए सीधी उड़ानों का संचालन कर सकेंगी। रूट में इस लचीलेपन के अलावा दोनों देशों की मनोनीत विमान कंपनियां किसी भी मध्यवर्ती या तय जगह से आगे भी अपनी सेवाएं दे सकती हैं।
- मनोनीत विमान कंपनियां मार्ग अनुसूची में निर्दिष्ट जगहों से अधिक और ऊपर के अन्य पक्ष के क्षेत्र में किसी भी चार (4) अतिरिक्त जगहों पर घरेलू कोड शेयर ऑपरेशन का उपयोग करने की हकदार होंगी। इन चार जगहों का ब्योरा किसी भी समय दिया जा सकता है।
- प्रत्येक पक्ष की मनोनीत एयरलाइन एक ही पक्ष, अन्य पक्ष और तीसरे देश के नामित विमान कंपनी के साथ सहकारी विपणन व्यवस्था में प्रवेश कर सकते हैं।
- यह न केवल सीधा संपर्क उपलब्ध कराएगा बल्कि तीसरे देश के वाहकों के जरिए भी संपर्क हो सकेगा, जो भारतीय विमान कंपनियों के लिए भी व्यवहार्य हो सकता है।
- दोनों देश एक अथवा इससे अधिक एयरलाइन को निर्दिष्ट करने के हकदार हैं। इससे पहली की व्यवस्था में प्रत्येक पक्ष से अधिकतम दो एयरलाइनों को भी निर्दिष्ट किया जा सकता था।

भारत और सर्बिया के बीच नए अपडेट और उदारवादी वायु सेवा समझौते में दोनों देशों के बीच अधिक व्यापार, निवेश, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने की क्षमता है। साथ ही यह नागरिक उड्डयन क्षेत्र की घटनाओं के लिए तालमेल बना सकता है। यह उन्नत और निर्बाध संपर्क के लिए माहौल को सक्षम बनाएगा जबकि दोनों पक्षों के कैरियरों को व्यावसायिक अवसर प्रदान करते हुए अधिक बचाव एवं सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। इस समय दोनों देशों के बीच कोई संपर्क नहीं है और संशोधित समझौता दोनों के बीच संपर्क स्थापित कर सकता है।

\*\*\*\*\*

AKT/VBA/SH/AS

(Release ID: 1486729) Visitor Counter : 9

